

17

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 428 / 2019

पवन कुमार पुत्र महावीरसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ।
वादी

बनाम्

- 1. महावीर पुत्र हेतराम } जाति जाट निवासी नाईवाला तहसील टिब्बी जिला
- 2. राधेश्याम पुत्र हेतराम } हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 2 के नाम से दर्ज आराजी वाके चकनं० 9 सीडीआर के प०न० 227 / 254 मु० 62 किलानं० 8,13,18,19 कुल 1.012 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं० 9 सीडीआर के खाता सं० 142 / 125 में से प्रतिवादीसं० 2 का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/2/19को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी